THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) As per provisions of Mine and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, prospecting licences and mining leases can be given only to Indian national or to a Company as defined under sub-section 1 of Section 3 of the Companies Act, 1956. Hence, question of any State Government entertaining any such application from a foreign multinational mining exporation company does not arise.

(b) to (d) Do not arise.

Power Generation by NALCO

891. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) The total capacity of NALCO's Captive power plant;

(b) whether that captive power plant of NALCO is generating surplus power than that is needed for Aluminium Smelter plant;

(c) if so, in what way the surplus power is utilised by NALCO so far; and

(d) the year-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) The total installed capacity of NALCO's Captive power plant is 720 MW (6 x 120 MW)

(b) Yes, Sir.

(c) Surplus power is being supplied by NALCO to Orissa State Electricity Board.

(d) Power supplied by NALCO to Orissa State Electricity Board during the last three years are as under:—

1992-93	731 MU
1993-94	782 MU
1994-95	1146 MU

इंदिरा आवास योजना का रक्षा कार्मिकों के लिए विस्तार किया जाना

892. चौधरी हरमोहन सिंह: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्द्धसैनिक बलों के कार्यरत जवानों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए इंदिरा आवास योजना का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा कोई घोषणा की गई थी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिवर्ष बारह हजार रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए इन्दिरा आवास योजना का किस प्रकार विस्तार करने, का विचार रखती है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछड़े वर्गों के लोग इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं; और

(च) इस खामी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) सरकार ने जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं अथवा रक्षा कार्मिकों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के लड़ाई में मारे गए कार्मिकों के निकट संबंधियों के पुनर्वास के लिए इंदिरा आवास योजना की सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंदिरा आवास योजना के लाभों को सैनिकों तथा लड़ाई में मारे गए अर्द्ध सैनिक बलों के परिवारों को बिना आय मानदंड के निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया गया है कि:

(1) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों।

(2) वे आश्रय हेतु पुनर्वास की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कवर न किए गए हों।

(3) वे बेघर हों अथवा आवास की आवश्यकता हो अथवा आवास के विस्तार की आवश्यकता हो।

(ङ) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को जहां तक कि वे इंदिरा आवास योजना की पात्र स्थितियों को पूरा करते हैं तथा किसी अन्य आश्रय हेतु पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए हैं, को भी प्राथमिकता दी जाती है।

(च) 1993 तक, इंदिरा आवास योजना में केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों को कवर किया जाता था। 1993-94 से, इसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर अनु. जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। अतः पिछड़ी जातियों को अब शामिल कर लिया गया है।